संख्या- 65 /2025/ 788 पी /24-27-सिं0-4/001-40(डब्ल्यू)परि0/2020 क न-1191269

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक:** 12 **मार्च, 2025**

विषय: बेलन मुख्य नहर के रामनगर राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 4.000 के मध्य पेवर मशीन द्वारा कंक्रीट लाइनिंग की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या-1613/384/परियोजना/कैम्प/बजट दिनांक 24 दिसम्बर, **2024** तथा शासनादेश संख्या- **222/2024/294P/24-27**सिं**0-4/001-40(**डब्ल्यू)परि**0/2020,** दिनांक 29.05.2024 द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या-94 लेखाशीर्षक 4701-06-051-10-06-24 के अन्तर्गत **"खीरी निरीक्षण भवन की जीर्णोद्धार एवं बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कार्य की परियोजना"** हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत की धनराशि रू0 19.86 लाख का अन्तरण कर समान लेखाशीर्षक 4701-06-051-10-06-24 के अन्तर्गत **"बेलन मुख्य नहर के रामनगर राजवाहा के किमी0 0.000 से किमी0 4.000 के मध्य पेवर मशीन द्वारा कंक्रीट लाइनिंग की परियोजना"** हेतु धनराशि रू0 19.86 लाख (उन्नीस लाख छियासी हजार मात्र) परियोजना के कार्यो हेतु अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. उक्त परियोजना हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों पर नियमानुसार सेन्टेज चार्ज एवं लेबर सेस का भुगतान तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार व्यय का प्रमाण-पत्र शासन को समयान्तर्गत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त सन्दर्भगत शासनादेश द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निर्गत की गयी प्रशासकीय स्वीकृति में उल्लिखित प्रतिबन्ध एवं शर्तें यथावत रहेंगे।
2. प्रश्नगत परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता एवं ससमय पूर्ण कराया जाना मुख्य अभियन्ता द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये **19,86,000 (** रुपये उन्नीस लाख छियासी हजार मात्र **)** को चालू वित्तीय वर्ष **2024-25** के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या **094** लेखा शीर्षक **4701060511006** पुनर्स्थापना मानक मद **24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - **1** के कार्यालय ज्ञाप संख्या - **1/2024/**बी-**1-294/**दस-**2024-231/2024,** दिनाँक- **04-**मार्च**, 2024** में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।है।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव,

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 65/2025/ 788 पी /24-27-सिं0-4/001-40(डब्ल्यू)परि0/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता (परि0 एवं नियो0/परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन/बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता स्तर-1(विन्ध्याचल) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
7- मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0,वाराणसी ।
8- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, प्रयागराज, उ0प्र0 ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8
10- नियोजन अनुभाग-3
11- सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
12- नोडल अधिकारी (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन
13- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
वी0 एन0 तिवारी
उप सचिव,

https://shasanadesh.up.gov.in